

04-01-22

पत्रावली पेश हुई। शेष प्रातिवाशिका/कायम मुकामात की तलबी व रजिस्टर्ड तलबी हेतु अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद तलबी नहीं लेने के कारण मूल तलबी अभाव में अपेक्षा 9 मीयम 5 आ दी के तहत मूल वाद एतद्वारा खारिज किया जा चुका है। अतः प्राथना-पत्र पत्रावली का अब कोई औचित्य नहीं है। प्राथना-पत्र पत्रावली एतद्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली फंसल सुमार लेकर नंबर से कम लेकर दायरेल कपतर है। विषय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय द्वारा नै धारी किया गया।

(4)
सहायक कलक्टर
साँभर लेक

